

छब्रीस-२ सचिवालय


विषय: कार्यालयीन समयावधि में अनुपस्थिति के संबंध में।

का विभाग

पंजी. 3050/21-अ(स्था.), दिनांक 19.09.2016

प्रायः यह देखा गया है कि विभाग में पदस्थ शासकीय सेवक भोजन अवकाश हेतु निर्धारित समय 1:30 से 2:00 बजे के अतिरिक्त भी कार्यालय में अपनी आसंदी से अनुपस्थित रहते हैं एवं अकारण ही कार्यालय परिसर से बाहर आवागमन करते हुए पाये जाते हैं, जिससे शासकीय कार्य के निष्पादन में विलंब होता है।

अतः समस्त शासकीय सेवकों को निर्देशित किया जाता है कि वे कार्यालयीन समय में अपनी आसंदी पर उपस्थित रह कर शासकीय कार्य समय से निपटाना सुनिश्चित करें। यदि कोई भी शासकीय सेवक उपरोक्त निर्देशों का उल्लंघन करते हुए पाया जाता है तो उसके विरुद्ध नियमानुसार आवश्यक अनुशासनात्मक एवं दण्डात्मक कार्यवाही की जावेगी।

  
(आर.के. वाणी)  
सचिव, विधि

प्रमुख सचिव, विधि

  
20.9.16

समस्त सचिव/अपर सचिव/अवर सचिव/

अनुभाग अधिकारी/शाखा प्रभारी,

की ओर उनके अधिनस्थ शासकीय सेवकों को सूचित करने एवं आदेश पालनार्थ प्रेषित।

15124  
21.9.16

IT Cell